BSES

# बिजली चोरी मामलों के तत्काल निपटारे के लिए "लोक अदालत"

## 12 व 13 सितंबर को होगा आयोजन : 12 अदालतें करेंगी मामलों का निपटारा

- हाई कोर्ट परिसर में होगा आयोजन
- 1 लाख रूपये तक के मामले सुलझाए जाएंगे
- 25 हजार उपभोक्ताओं को भेजे गए पत्र
- एफएम चैनलों के माध्यम से लगातार दी जा रही सूचना

नई दिल्लीः 9 सितंबर, 2009। बीएसईएस राजधानी और बीएसईएस यमुना के उपभोक्ताओं के बिजली चोरी संबंधी मामलों का मौके पर ही निपटारा करने के लिए विशेष *लोक अदालत* का आयोजन किया जा रहा है। इस का आयोजन 12 व 13 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट परिसर में होगा। *दिल्ली हाई कोर्ट कानूनी सेवा समिति* के सहयोग से लोक अदालत आयोजित की जा रही है। कटिया डालकर की जाने वाली चोरी और मीटर के साथ छेड़छाड़ कर की जाने वाली बिजली चोरी– दोनों तरह के मामलों का यहां निपटारा होगा। उपभोक्ताओं के मामलों का निपटारा करने के लिए 12 अदालतें लगाई जाएंगी। 7 अदालतें बीआरपीएल से जुड़े मामले देखेंगी, जबकि 5 अदालतें बीवाईपीएल से संबंधित केसेस निपटाएंगी।

लोक अदालत में 1 लाख रूपये तक की बिजली चोरी के मामले सुलझाए जाएंगे। मामले का निपटारा होने के बाद, पांच दिनों के भीतर बीएसईएस एन्फोर्समेंट ऑफिस में भुगतान किया जा सकता है।

बिजली चोरी के जो मामले किसी अदालत में नहीं चल रहे हैं, उन्हें तो यहां निपटाया ही जाएगा, साथ ही ऐसे मामलों को भी सुलझाया जाएगा, जो अन्य अदालतों में लंबित पड़े हैं और जिनका निपटारा अभी तक नहीं हुआ है। लोक अदालत 12 व 13 सितंबर को हाई कोर्ट परिसर में, सुबह 10 बजे शुरू होगी। अपने मामले सुलझाने के इच्छुक उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे या तो व्यक्तिगत रूप से लोक अदालत में उपस्थित हों, या फिर अपने वकील या अधिकृत प्रतिनिधि को भी वहां भेजा सकता है। अपने पहचान पत्र और बिल की कॉपी लाना आवश्यक है।

करीब 25 हजार उपभोक्ताओं को इस संबंध में पत्र भेज कर अनुरोध किया जा चुका है। इसके अलावा, एफएम चैनलों पर लगातार इस बारे में सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं, ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ता इस लोक अदालत का फायदा उठा सकें। मामलों को तेजी से निपटाने के लिए बीएसईएस ने खास इंतजाम किए हैं। यह पूरी तरह से एक पेपरलेस (कागजविहीन) लोक अदालत होगी और फाइलें इधर से उधर नहीं करनी पड़ेंगी। बीएसईएस ऐसे सॉफ्टवेयर मॉड्यूल की सहायता ले रही है, जो माउस के महज एक क्लिक पर उपभोक्ताओं का सारा डेटा कंप्यूटर स्कीन पर उपलब्ध करा देगा। कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए वहां 16 कंप्यूटरों की व्यवस्था रहेगी।

प्रवक्ता के मुताबिक, पिछली लोक अदालत में 2500 मामले आए थे, जिनमें से 92 प्रतिशत मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया था। इस बार भी बड़े पैमाने पर मामलों को मौके पर ही निपटाने की कोशिश होगी।

ताकि उपभोक्ताओं को कोई परेशानी न हो, इसके लिए खास व्यवस्था होगी। वहां 12 स्पेशल हेल्प डेस्क होंगी, जो उपभोक्ताओं को गाइड करेंगी और उन्हें जानकारियां उपलब्ध कराएंगी। 1 हेल्प डेस्क खासतौर पर बुजुर्ग व विकलांग लोगों के लिए होगा, और एक महिलाओं के लिए।

बीएसईएस प्रवक्ता का कहना है कि *विशेष लोक अदालत* उपभोक्ताओं को जहां एक ओर मौके पर ही अपने बिजली चोरी संबंधी मामले व विवाद को निपटाने के लिए एक सशक्त मंच उपलब्ध कराएगी, वहीं दूसरी ओर, इससे बिजली चोरी पर अंकुश लगाने में भी मदद मिलेगी और अधिक से अधिक उपभोक्ता बिलिंग नेट में आएंगे। बीएसईएस ने अपने उपभोक्ताओं से अपील की है वे अधिक से अधिक संख्या में हाई कोर्ट परिसर में पहुंचे और मामलों का निपटारा करवाएं। समाज के निचले तबके के लोगों को इस लोक अदालत से काफी फायदा होने की उम्मीद है।

*दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।*